हुक्म		अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
29/11/21	वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने दावा वादीगण नोटपेस किया। दावा आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः दावा वादीगण नोटपेस के आधार पर खारिज किया जाता है। पक्षकारो खर्चा खुद बर्दाश्त करेंगे। फाइल दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी धौलपुर (राज०)	Not press 29/11/21